(ग) और (घ) जी हां । टेलीफोन पंचायत ग्रामों में वहां के किसी भी (क) डाकघर (ख) पंचायत घर ; और (ग) पंसारी की दुकान अथवा अन्य किसी उपयुक्त स्थान पर लगाए जाते हैं, जहां जनता आसानी से पहुंच सके ।

**विवरण**

**हिमाचल प्रदेश में जिन ग्राम पंचायतों को अब तक टेलीफोन सुविधा प्रदान की जा चुकी है और जिन ग्राम पंचायतों को वर्ष 1992–93 के दौरान टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना है उसकी जिलेवार संख्या ।**

| क्रम सं० | जिले का नाम | ग्राम पंचायतों की संख्या जहां 31-3-92 तक टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है । | ग्राम पंचायतों की संख्या जहां वर्ष 1992–93 के दौर में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना है । |
|---|---|---|---|
| 1 | बिलासपुर | 57 | 9 |
| 2 | चम्बा | 45 | 5 |
| 3 | हमीरपुर | 135 | 7 |
| 4 | किन्नौर | 3 | 3 |
| 5 | कांगड़ा | 344 | 38 |
| 6 | कुल्लू | 38 | 11 |
| 7 | लाहुल-स्पीती | 2 | शून्य |
| 8 | मंडी | 99 | 29 |
| 9 | शिमला | 129 | 37 |
| 10 | सोलन | 110 | 3 |
| 11 | सिरमौर | 51 | 37 |
| 12 | ऊना | 117 | 21 |
| | | 1130 | 200 |

**Need to implement recommendations on telephone billing**

2755. SHRI RAJNI RANJAN SAHU:
SHRI JAGIR SINGH DARD;
DR. ABRAR AHMED;
SHRIMATI RATAN KUMARI;
SHRI RAMDAS AGARWAL;

Will the Minister of COMMUNICATIONS be plaesed to state-

(a) whether the Social Audit Panel on telecom and postal services has recommended certain changes in telephone billing to provide relief to the subscribers;

(b) if so, the details of the recommendations made by the panel;

(c) whether Government have since examined these recommendation and if so. the steps Government propose to take to implement them; and

(d) what steps Government have taken to prevent misuse of telephone facilities by unscrupulous elements?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU); (a) No Sir.

(b) Does not arise in view of (a) above.

(c) The Social Audit Panel has submitted the First Action Report only recently. The report contains the recommendations on the various aspects of the operations of Department of Telecom. The report is under examination of the Department of Telecom.

(d) The following steps have been taken to prevent misuse of telephone facilities;

(a) Patrols by vigilance staff;

(b) Dynamic STD barring

(c) Detailed billing in E to B exchanges

(d) Locking of DP's and other distribution points.

**Inter Ministerial Committee on Autonomy for Department of Posts**

2756. SHRI GHUFRAN AZAMI; Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state;

(a) whether Government propose to review the provision of Parliamentary control over postal tariffs and consider greater autonomy for the Department of Posts;

(b) if so, whether an Inter-Ministerial Committee has discussed the same, recently and urged to amend the Indian Post Office Act, 1989; and

(c) if so, what is the teaction of Government in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU); (a) No, Sir. There is no such proposed before the Government.

(b) No, Sir. A Committee has been ever, been set up by the Ministry of Communications to review the Indian Post Office Act, 1989.

(c) Does not arise now, in view of the reply to (b) above.

**उत्तर प्रदेश में टेलेक्स और फैक्स सुविधाएं**

2757. **मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी** : क्या संचार मंत्री 21 जुलाई, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 1173 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) उत्तर प्रदेश में किन-किन जिला मुख्यालयों में जिला प्रशासन को टेलेक्स और फैक्स की सुविधायें उपलब्ध कराई गई है ; और

(ख) अगले दो वर्षों की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर इन सुविधाओं को मुहैया कराये जाने की संभावना है ?

**संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगया नायडू)** : (क) उत्तर प्रदेश के जिन जिला मुख्यालयों में जिला प्रशासन को फैक्स सुविधा उपलब्ध कराई गई है उनके नाम विवरण–1 में दिए गए हैं **(नीचे देखिए)** जिला मुख्यालयों को टेलेक्स सुविधा प्रदान की जा सकती है और राज्य प्रशासन द्वारा मांग करने पर कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(ख) (i) अगले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में जिन स्थानों पर एस०टी०डी शुरू करने से फैक्स सुविधा उपलब्ध हो जाएगी उनके नाम विवरण–2 में दिए गए हैं **(नीचे देखिए)**

(ii) उत्तर प्रदेश सर्किल में अब तो किसी भी स्थान पर मांग किए जाने पर स्थानीय अथवा लंबी दूरी के कनेक्शन के जरिए टेलेक्स सुविधा प्रदान की जा सकती है।